



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233273
CG-DL-E-09022022-233273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943

No. 82]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)
(संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./080.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“18. समिति की बैठकें

(1) कोई समाधान व्यावसायिक, जब भी आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुला सकेगा।

(2) कोई समाधान व्यावसायिक, यदि वह आवश्यक समझता है, समिति के सदस्यों से प्राप्त अनुरोध पर बैठक बुला सकेगा और यदि कम से कम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है तो बैठक बुलाएगा।

(3) कोई समाधान व्यावसायिक, यदि वह आवश्यक समझे, समिति के सदस्यों से प्राप्त कोई प्रस्थापना किसी बैठक में रख सकेगा और यदि कम से कम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति के सदस्यों द्वारा ऐसी प्रस्थापना की जाती है तो उस प्रस्थापना को रखेगा।”

3. मूल विनियमों के विनियम 39क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“39क. अभिलेखों का परिरक्षण

(1) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, ऐसे सभी अभिलेखों की प्रतियां परिरक्षित रखेगा, जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का पूर्ण लेखा देने के लिए अपेक्षित हैं।

(2) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (1) के अधीन आने वाली बाध्यताओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अभिलेख की प्रतियां परिरक्षित रखेगा, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं या उसका आधार गठित करती हैं:-

(क) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में उसकी नियुक्ति, जिसके अंतर्गत नियुक्ति के निबंधन भी हैं;

(ख) असाइनमेंट(नियतकार्य) का सौंपा जाना/हाथ में लिया जाना;

(ग) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में कारपोरेट ऋणी का प्रवेश;

(घ) लोक उद्घोषणा;

(ङ) समिति का गठन और समिति की बैठकें;

(च) दावों, दावों का सत्यापन और लेनदारों की सूची;

(छ) व्यावसायिकों, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों और दिवाला व्यावसायिक संस्था का नियोजन, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किया गया कार्य, प्रस्तुत की गई रिपोर्टें आदि भी हैं;

(ज) सूचना ज्ञापन;

(झ) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए समस्त दस्तावेज़ और उनके आदेश;

(ञ) समाधान योजना का आमंत्रण, विचार किया जाना और अनुमोदन;

(ट) बोर्ड और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के समक्ष कानूनी रूप से फाइल किए गए दस्तावेज़;

(ठ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान पत्र-व्यवहार;

(ड) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत; और

(ढ) अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, अतिशय उधार संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोषपूर्ण व्यापार।

(3) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने या बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्यवाही के समाप्त हो जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्कर्ती हो,-

(क) कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए समस्त अभिलेख की इलैक्ट्रॉनिक प्रति(भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक); और

(ख) कम से तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेखों की भौतिक प्रति,

परिरक्षित रखेगा।

(4) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, अभिलेख को किसी सुरक्षित स्थान पर परिरक्षित रखेगा और जैसा कि संहिता और विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, अभिलेख को प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन होगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम में निर्दिष्ट अभिलेख के अंतर्गत किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की ऐसी अवधि से संबंधित अभिलेख भी है, जिसके दौरान अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक ने, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उसने उसके प्रारंभ से असाइनमेंट ग्रहण नहीं किया था या उसके पूरा होने तक असाइनमेंट में बना नहीं रहा था, इस रूप में कार्य किया था।”

डॉ. नवरंग सैनी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./636/2021-22]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 427, तारीख 30 सितम्बर, 2021 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.078, तारीख 30 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2022

F. No. IBBI/2021-22/GN/REG/080.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), regulation 18 shall be substituted by the following, namely: -

“18. Meetings of the committee.

(1) A resolution professional may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary.

(2) A resolution professional may convene a meeting, if he considers it necessary, on a request received from members of the committee and shall convene a meeting if the same is made by members of the committee representing at least thirty three per cent of the voting rights.

(3) A resolution professional may place a proposal received from members of the committee in a meeting, if he considers it necessary and shall place the proposal if the same is made by members of the committee representing at least thirty three per cent of the voting rights.”

3. In the principal regulations, for regulation 39A, the following regulation shall be substituted, namely: -

“39A. Preservation of records.

(1) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall preserve copies of all such records which are required to give a complete account of the corporate insolvency resolution process.

(2) Without prejudice to the generality of the obligations under sub-regulation (1), the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall preserve copies of records relating to or forming the basis of: -

- (a) his appointment as interim resolution professional or resolution professional, including the terms of appointment;
- (b) handing over / taking over of the assignment;
- (c) admission of corporate debtor into corporate insolvency resolution process;
- (d) public announcement;
- (e) the constitution of committee and meetings of the committee;
- (f) claims, verification of claims, and list of creditors;
- (g) engagement of professionals, registered valuers, and insolvency professional entity, including work done, reports etc., submitted by them;
- (h) information memorandum;
- (i) all filings with the Adjudicating Authority, Appellate Authority and their orders;
- (j) invitation, consideration and approval of the resolution plan;
- (k) statutory filings with Board and insolvency professional agencies;
- (l) correspondence during the corporate insolvency resolution process;
- (m) insolvency resolution process cost; and
- (n) preferential, undervalued, extortionate credit transactions or fraudulent or wrongful trading.

(3) The interim resolution professional or the resolution professional shall preserve:

- (a) electronic copy of all records (physical and electronic) for a minimum period of eight years; and
- (b) a physical copy of records for a minimum period of three years;

from the date of completion of the corporate insolvency resolution process or the conclusion of any proceeding relating to the corporate insolvency resolution process, before the Board, the Adjudicating Authority, Appellate Authority or any Court, whichever is later.

(4) The interim resolution professional or the resolution professional shall preserve the records at a secure place and shall be obliged to produce records as may be required under the Code and the Regulations.

Explanation - The records referred to in this regulation includes records pertaining to the period of a corporate insolvency resolution process during which the interim resolution professional or the resolution professional acted as such, irrespective of the fact that he did not take up the assignment from its commencement or continue the assignment till its conclusion.”

Dr. NAVRANG SAINI, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./636/2021-22]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2021 published vide notification No. IBBI/2021-22/GN/REG078, dated the 30th September, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 427 on 30th September, 2021.